

UPSL040119292025



न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।

विविध वाद संख्या-525/2025

कम्प्यूटर संख्या-684/2025

यामीन बनाम अनुज तौमर एवं अन्य।

धारा 173(4) वी0एन0एस0एस0,

थाना- सम्भल, जिला सम्भल।

09.01.2026

1. पत्रावली पेश हुई। आवेदक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) वी0एन0एस0एस0 पर पूर्व में विस्तारपूर्वक सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

2. संक्षेप में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की गुजर बसर करता है। प्रार्थी का पुत्र आलम ठेले पर पापे बिस्कुट बेचने का काम करता है और दुकानों पर सप्लाई करता है। दिनांक 24.11.2024 की सुबह लगभग 8:00 बजे प्रार्थी का पुत्र आलम घर से तीन पहियों का ठेला लेकर पापे बिस्कुट बेचने के लिए गया था तो जैसे ही समय लगभग 08:45 बजे आलम जामा मस्जिद मौहल्ला कोट सम्भल के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी प्रार्थी का पुत्र आलम जब वहां पहुंचा तो पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल अनुज चौधरी और थाना संभल के इंस्पेक्टर अनुज कुमार तौमर व अन्य 15-20 पुलिस कर्मी व अन्य पुलिस वालो ने अचानक भीड़ पर अपने हाथों में लिए हथियारों से जान से मारने की नियत से गोलियां चलानी शुरू कर दी प्रार्थी का पुत्र अपने ठेले को छोड़कर जान बचाने के लिए भागा तो प्रार्थी के पुत्र आलम को पुलिस की दो गोली पीठ में लगी व एक हाथ में लगी तथा प्रार्थी का पुत्र आलम वहीं गिर गया यह बातें प्रार्थी के पुत्र आलम ने प्रार्थी को बताई। मौके पर मौजूद कुछ लोग प्रार्थी के पुत्र को घायल अवस्था में लेकर प्रार्थी के घर लाएं प्रार्थी का पुत्र काफी गंभीर अवस्था में था प्रार्थी आलम को संभल में कई डॉक्टरों के पास व अस्पतालों में उसे लेकर गया लेकिन किसी ने भी उसका इलाज नहीं किया। प्रार्थी ने अपने पुत्र को पुलिस के डर के कारण तीन दिन तक घर के अंदर ही रखा। प्रार्थी अपने पुत्र को लेकर मुरादाबाद के अस्पतालों में गया लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया और अलीगढ़ के अस्पतालों में गया लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया और कहा कि पुलिस प्रशासन ने संभल के घायलों को भर्ती करने से मना कर रखा है। प्रार्थी अपने पुत्र को लेकर मेरठ में एक अस्पताल में आया और वहां अपना पता छुपा कर अपने पुत्र की जान बचाने के लिए उसको भर्ती किया जहां पर प्रार्थी

के पुत्र का ऑपरेशन हुआ और उसकी गोली निकाली जब कही जाकर प्रार्थी के पुत्र की जान बची। प्रार्थी अब तक अपने पुत्र के इलाज में लगा रहा और डर के कारण भी प्रार्थना पत्र ना दे सका लेकिन अब हिम्मत करके न्याय के लिए प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र दे रहा है। यह कि प्रार्थी ने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2025 को श्रीमान एस.पी.पुलिस संभल को व जिला अधिकारी संभल को व डी.आई.जी. पुलिस मुरादाबाद व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिया व एक प्रार्थना पत्र दिनांक-31.12.2024 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिया लेकिन अभी तक भी प्रार्थी की रिपोर्ट थाना संभल पर दर्ज नहीं की गई है मजबूर होकर प्रार्थी अदालत की शरण में आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना प्रभारी कोतवाली संभल को आदेश दिया जावे कि वह प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करें।

3. आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक, सम्भल को सम्बोधित प्रार्थना पत्र , आख्या प्रपत्र एवं चिकित्सीय प्रपत्र की प्रति आदि दाखिल किये गये हैं, जो पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थना पत्र पर थाना सम्भल जिला सम्भल से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित घटना दिनांक 24.11.2024 हिंसा के सम्बन्ध में कोतवाली सम्भल पर मु०अ०सं० 333/2024, 334/2024, 335/2024, 336/2024, 337/2024, 338/2024, 339/2024, 340/2024, 342/2024 अभियोग पंजीकृत है जो कि विवेचनाधीन है। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रार्थना पत्र को सहानुभुती पूर्वक विचार करते हुए निरस्त करने की कृपा करे। रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

4. आवेदक के प्रार्थन पत्र पर पुलिस अधीक्षक सम्भल से प्रारम्भिक जांच आख्या आहूत की गयी, जो प्राप्त होकर पत्रावली पर संलग्न है। जिसके अनुसार “ दौराने इलाज आवेदक के बेटे मजरूब आलम ने चिकित्सक श्री नवनीत गर्ग पुत्र स्व० श्री रमेशचन्द्र गर्ग जागृति विहार मेरठ को दिनांक 24.11.2024 को ग्राम असमोली में झगडे में गोली लगने की बात बतायी है तथा दौराने इलाज चिकित्सक द्वारा मजरूब के शरीर से जो बुलेट प्राप्त हुई है उसको वास्ते परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। चिकित्सक का लिखित बयान सलग्नक रिपोर्ट है। आवेदक का पुत्र मजरूब आलम कोतवाली सम्भल के मु०अ०सं० 333/2024 धारा 191(2), 190, 191(3), 115(2), 352, 221, 132, 121(1), 121(2), 109(1), 125, 223ख, बीएनएस में वांछित चल रहा है। जिसकी विवेचना प्रचलित है। महोदय सादर अवगत कराना है कि आवेदक के दिये गये उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। आवेदक के प्रार्थना पत्र पर पुनः पुलिस अधीक्षक सम्भल द्वारा पूरक आख्या न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिसके अनुसार सन्दर्भित प्रकरण में पूर्व में दिनांक-06.05.2025 को आख्या प्रेषित की जा चुकी है ” उपरोक्त प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा (उ०प्र०) से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त

बुलेट 7.65 एमएम अर्थात 32 बोर की है, जिसका पुलिस द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः उपलब्ध साक्ष्य से पुलिस की गोली से आवेदक के पुत्र मौ० आलम का घायल होना नहीं पाया गया। आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।”

5. सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया तथा दाखिल पुलिस रिपोर्ट एवं चिकित्सीय प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना अंतर्गत धारा 173(4) वी०एन०एस०एस० में विपक्षीगण द्वारा दिनांक 24.11.2024 की सुबह लगभग 8:00 बजे प्रार्थी का पुत्र आलम घर से तीन पहियों का ठेला लेकर पापे बिस्कुट बेचने के लिए गया था तो जैसे ही समय लगभग 08:45 बजे आलम जामा मस्जिद मौहल्ला कोट सम्भल के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी प्रार्थी का पुत्र आलम जब वहां पहुंचा तो पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल अनुज चौधरी और थाना संभल के इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर व अन्य 15-20 पुलिस कर्मी व अन्य पुलिस वालों ने अचानक भीड़ पर अपने हाथों में लिए हथियारों से जान से मारने की नियत से गोलियां चलानी शुरू कर दी प्रार्थी का पुत्र अपने ठेले को छोड़कर जान बचाने के लिए भागा तो प्रार्थी के पुत्र आलम को पुलिस की दो गोली पीठ में लगी व एक हाथ में लगी तथा प्रार्थी का पुत्र आलम वहीं गिर जाने का कथन किया गया है और साथ ही यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी के पुत्र का इलाज मेरठ के [अस्पताल/ऑपरेशन](#) में हुआ तथा दौरान इलाज प्रार्थी के शरीर से गाली डॉक्टरों के द्वारा निकाली गयी है। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा अपने चिकित्सीय प्रपत्र भी दाखिल किये गये हैं।

7. आवेदक के प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाने से जांच आख्या आहुत की गयी जो पत्रावली पर संलग्न है, जांच आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के मामले में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। जांच आख्या में पुलिस के द्वारा यह तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि आवेदक का पुत्र आलम को गोली मारी गयी थी तथा पीडित के शरीर से जो गोली निकली वह बुलेट 7.65 एमएम अर्थात 32 बोर की थी, जिसके संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की रिपोर्ट पुलिस के द्वारा दाखिल की गयी है तथा पुलिस के द्वारा अपनी आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि 32 बोर की गोली पुलिस के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। पुलिस के द्वारा अपनी आख्या में पीडित आलम का इलाज किये जाने वाले चिकित्सक के बयान अंकित कर न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये हैं, जिसमें चिकित्सक श्री नवनीत गर्ग पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द्र गर्ग द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि— “मैं जनरल सर्जन हूँ। दिनांक 26.11.2024 को मजरुब मौ० आलम पुत्र मौ० यामीन मेरठ क्रिटिकल केयर अस्पताल में अपने परिजनो के साथ ईलाज के लिये आया था जिसने अपना निवास स्थान ग्राम असमोली थाना असमोली (सम्भल) उम्र 23 वर्ष बताया था इनके द्वारा भर्ती होते समय ही ग्राम असमोली में

झगड़े में दिनांक 23.11.2024 को फायर आर्म इन्जरी मे चोटे लगना बताया था मजरुब मौ० आलम उपरोक्त का ईलाज मेरे द्वारा किया गया जिसमे दिनांक 27.11.2024 को सुबह 06:00 बजे मेरे द्वारा इसका आपरेशन किया गया। इसका ईलाज 26.11.2024 से 06.12.2024 तक मेरठ किटिकल केयर अस्पताल में किया गया है। मेडिको लीगल जानकारी भी दी गई है। मजरुब मौ० आलम उपरोक्त के ईलाज की समस्त दस्तावेज, जो मेरे द्वारा तैयार किये गये है। मेरठ किटिकल केयर अस्पताल की पत्रावली पर मौजूद है।” इसके साथ ही पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या में बयान चिकित्सक श्री युनस अहमद पुत्र श्री अब्दुल के बयान अंकित किये गये, जिसके द्वारा पीडित आलम की चिकित्सा की गयी, जिसमें चिकित्सक युनुस अहमद द्वारा यह बयान दिया गया है कि “ मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे द्वारा दिनांक 26.11.2024 को मजरुब मौ० आलम पुत्र मौ० यामीन निवासी ग्राम असमोली थाना असमोली जिला सम्भल उम्र 23 वर्ष का इलाज MCC (Meerut Critical Care Hospital) मे शुरु किया गया तथा जिसमे मजरुब द्वारा इन्जरी दिनांक 23.11.2024 बताई गई थी। मुझे दाहिनी बाजू में लगी चोट के ईलाज के लिये बुलाया गया था जिसका आपरेशन मैने 01/12/2024 को किया था जिसमे दाहिने हाथ की टूटी हुई हडडी में आपरेशन द्वारा प्लेट लगाई गई इसके बाद 02 दिन बाद मजरुब की ड्रेसिंग की गई इसके बाद 06.12.2024 को मजरुब की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई थी। मजरुब के ईलाज के समस्त दस्तावेज जिनका मेरे द्वारा इलाज किया गया है MCC(Meerut Critical Care Hospital)की पत्रावली में मौजूद है।

उपरोक्त पुलिस आख्या से तथा प्रार्थी के पुत्र आलम का इलाज करने वाले चिकित्सकों के बयान से यह स्पष्ट है कि पीडित आलम को दो गोली पीठ पर एक हाथ पर लगी थी तथा उसके शरीर से डाक्टरों के द्वारा दौरान ईलाज गोली निकाली गई थी, परंतु यह स्पष्ट नहीं होता है कि गोली मारने वाला व्यक्ति कौन था तथा किसके द्वारा पीडित आलम को मृत्यु कारित किये जाने का प्रयास किया गया है। चूंकि प्रस्तुत मामले में मात्र वहीं व्यक्ति वास्तविक तथ्य बता सकता है, जो मामले का पीडित/मजरुब है तथा जिसके साथ अपराध/घटना घटित हुई है, चूंकि हत्या का प्रयत्न जैसे अपराध अत्यंत गम्भीर प्रकृति का होता है, जिसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जिस व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया गया है तथा जिस व्यक्ति ने हत्या करने का प्रयास किया है, पीडित उन पर आरोप न लगाकर किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगायेगा, ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध यदि किसी व्यक्ति के संबंध में कारित किया जाता है तो वह पीडित व्यक्ति उसी पर आरोप लगायेगा, जिसके द्वारा ऐसे अपराध किये जाने का प्रयास किया गया है।

8. प्रस्तुत मामले में पीडित/मजरूब आलम के संबंध में दाखिल चिकित्सीय प्रपत्र पर डाक्टरों के द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि “ **Gun shot wound**” तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि “ **Police firing in riot**” जो मामले को संदिग्ध बनाता है तथा घटना से संज्ञेय अपराध किया जाना दर्शित होता है तथा चिकित्सीय प्रपत्रों से यह स्पष्ट होता है कि पीडित आलम को दो गोलिया पीठ पर तथा एक गोली हाथ पर मारी गयी है तथा पीडित आलम के मेडिकल प्रपत्र में हाथ की हड्डी का टूट जाना दर्शाया गया है तथा इसके संबंध में पीडित/मजरूब के मेडिकल प्रपत्र एवं एक्स-रे रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है। पुलिस की ओर से प्रेषित आख्या से भी मामले में संश्लिष्टता प्रतीत होती है। पुलिस के द्वारा भी मौ० आलम के चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल किये गये हैं तथा इलाज करने वाले डॉक्टरों के बयान अंकित किये गये, जिनके बयान चिकित्सीय रिपोर्ट व घटना से विरोधाभासी प्रतीत होते हैं तथा मामले को संदिग्ध बनाते हैं, जिससे मामला संज्ञेय अपराध किया जाना दर्शित होता है। इस सम्बन्ध में निम्न विधि व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था ओमप्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि “सरकारी पद कर्तव्य के निष्पादन से बाहर किये गये आपराधिक कृत्यों के लिए धारा 197 दं०प्र०सं० का सुरक्षा कवच लोक सेवक को प्राप्त नहीं है। धारा 197 के तहत संज्ञान तभी बाधित होगा जबकि प्रश्नगत कार्य संबंधित लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में किया गया हो। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अभिमत प्रकट किया गया है कि धारा 197 दं०प्र०सं० की प्रक्रिया गैर कानूनी कार्यों के संरक्षण में नहीं की जा सकती तथा लोकसेवकों पर मुकदमा चालने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता, उनके भष्ट आचरण के लिए ढाल नहीं है।”

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था People’s Union for Civil Liberties (PUCL) v. State of Maharashtra & Ors. में पारित विधिक सिद्धांतों का वर्णन किया जाना आवश्यक है—In light of the above discussion and having regard to the directions issued by the Bombay High Court, guidelines issued by NHRC, suggestions of the appellant – PUCL, amicus curiae and the affidavits filed by the Union of India, State Governments and the Union Territories, we think it appropriate to issue the following requirements to be followed in the matters of investigating police encounters in the cases of death as the standard procedure for thorough, effective and independent investigation:

(1) Whenever the police is in receipt of any intelligence or tip-off regarding

criminal movements or activities pertaining to the commission of grave criminal offence, it shall be reduced into writing in some form (preferably into case diary) or in some electronic form. Such recording need not reveal details of the suspect or the location to which the party is headed. If such intelligence or tip-off is received by a higher authority, the same may be noted in some form without revealing details of the suspect or the location.

(2) If pursuant to the tip-off or receipt of any intelligence, as above, encounter takes place and firearm is used by the police party and as a result of that, death occurs, an FIR to that effect shall be registered and the same shall be forwarded to the court under Section 157 of the Code without any delay. While forwarding the report under Section 157 of the Code, the procedure prescribed under Section 158 of the Code shall be followed.

(3) An independent investigation into the incident/encounter shall be conducted by the CID or police team of another police station under the supervision of a senior officer (at least a level above the head of the police party engaged in the encounter). The team conducting inquiry/investigation shall, at a minimum, seek:

- (a) To identify the victim; colour photographs of the victim should be taken;
- (b) To recover and preserve evidentiary material, including blood-stained earth, hair, fibers and threads, etc., related to the death;
- (c) To identify scene witnesses with complete names, addresses and telephone numbers and obtain their statements (including the statements of police personnel involved) concerning the death;
- (d) To determine the cause, manner, location (including preparation of rough sketch of topography of the scene and, if possible, photo/video of the scene and any physical evidence) and time of death as well as any pattern or practice that may have brought about the death;
- (e) It must be ensured that intact fingerprints of deceased are sent for chemical analysis. Any other fingerprints should be located, developed, lifted and sent for chemical analysis;
- (f) Post-mortem must be conducted by two doctors in the District Hospital, one of them, as far as possible, should be In-charge/Head of the District Hospital. Post-mortem shall be video-graphed and preserved;

(g) Any evidence of weapons, such as guns, projectiles, bullets and cartridge cases, should be taken and preserved. Wherever applicable, tests for gunshot residue and trace metal detection should be performed.

(h) The cause of death should be found out, whether it was natural death, accidental death, suicide or homicide.

(4) A Magisterial inquiry under Section 176 of the Code must invariably be held in all cases of death which occur in the course of police firing and a report thereof must be sent to Judicial Magistrate having jurisdiction under Section 190 of the Code.

(5) The involvement of NHRC is not necessary unless there is serious doubt about independent and impartial investigation. However, the information of the incident without any delay must be sent to NHRC or the State Human Rights Commission, as the case may be.

(6) The injured criminal/victim should be provided medical aid and his/her statement recorded by the Magistrate or Medical Officer with certificate of fitness.

(7) It should be ensured that there is no delay in sending FIR, diary entries, panchnamas, sketch, etc., to the concerned Court.

(8) After full investigation into the incident, the report should be sent to the competent court under Section 173 of the Code. The trial, pursuant to the chargesheet submitted by the Investigating Officer, must be concluded expeditiously.

(9) In the event of death, the next of kin of the alleged criminal/victim must be informed at the earliest.

(10) Six monthly statements of all cases where deaths have occurred in police firing must be sent to NHRC by DGPs. It must be ensured that the six monthly statements reach to NHRC by 15th day of January and July, respectively. The statements may be sent in following format along with post mortem, inquest and, wherever available, the inquiry reports:

- (i) Date and place of occurrence.
- (ii) Police Station, District.
- (iii) Circumstances leading to deaths:
 - (a) Self defence in encounter.

(b) In the course of dispersal of unlawful assembly.

(c) In the course of affecting arrest.

(iv) Brief facts of the incident.

(v) Criminal Case No.

(vi) Investigating Agency.

(vii) Findings of the Magisterial Inquiry/Inquiry by

Senior Officers:

(a) disclosing, in particular, names and designation of police officials, if found responsible for the death; and

(b) whether use of force was justified and action taken was lawful.

(11) If on the conclusion of investigation the materials/evidence having come on record show that death had occurred by use of firearm amounting to offence under the IPC, disciplinary action against such officer must be promptly initiated and he be placed under suspension.

(12) As regards compensation to be granted to the dependants of the victim who suffered death in a police encounter, the scheme provided under Section 357-A of the Code must be applied.

(13) The police officer(s) concerned must surrender his/her weapons for forensic and ballistic analysis, including any other material, as required by the investigating team, subject to the rights under Article 20 of the Constitution.

(14) An intimation about the incident must also be sent to the police officer's family and should the family need services of a lawyer / counselling, same must be offered.

(15) No out-of-turn promotion or instant gallantry rewards shall be bestowed on the concerned officers soon after the occurrence. It must be ensured at all costs that such rewards are given/recommended only when the gallantry of the concerned officers is established beyond doubt.

(16) If the family of the victim finds that the above procedure has not been followed or there exists a pattern of abuse or lack of independent investigation or impartiality by any of the functionaries as above mentioned,

it may make a complaint to the Sessions Judge having territorial jurisdiction over the place of incident. such complaint being made, the concerned Sessions Judge shall look into the merits of the complaint and address the grievances raised therein.

32. The above guidelines will also be applicable to grievous injury cases in police encounter, as far as possible.

प्रकाश सिंह की बादल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2007)(1)एस0सी0सी0(1) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि कोई लोकसेवक द्वारा किया गया कृत्य निजी दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से अवैध है और उसका कोई सीधा संबंध पदीय कर्तव्य से नहीं है तो धारा 197 द्र0प्र0सं0 में अभियोजन की स्वीकृति नहीं है। केवल वही कर्तव्य संरक्षित हैं, जो आधिकारिक कर्तव्य निर्वहन से सीधे और अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। (किसी व्यक्ति को गोली मारना पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी प्रकार से नहीं माना जा सकता। पुलिस के द्वारा आरोपित अपराध इसी क्षेणी में आता है

इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य विधि व्यवस्था देवेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एस0सी0सी0 12 (87)(2016)** में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि फर्जी एनकाउंटर/ अवैध गिरफ्तारी, मनगढ़ंत कहानी तथा पुलिस द्वारा किया गया अवैध कृत्य पदीय कर्तव्यों अथवा पुलिस के द्वारा किया गये कार्यों में नहीं माना जा सकता। कोई भी अपराध चाहे वह वर्दी पहनकर किया गया हो, यदि कानून के विरुद्ध है तो उसके पदीय कर्तव्यों में नहीं माना जा सकता है।

प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य ए0आई0आर0 2015 सुप्रीम कोर्ट 1758 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द0प्र0सं0के निस्तारण के समय मजिस्ट्रेट को अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और नियमित तरीके से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द0प्र0सं0 में किये गये कथन शपथ पत्र से समर्थित होने चाहिए।

ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य रिट पिटीशन (किमिनल) 68 / 2008 निर्णय दिनांकित 12.11.2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि जब किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती है, तो पुलिस उक्त सूचना के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 दर्ज कर विवेचना कराये जाने हेतु बाध्य है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित निर्णयज **विधि सुखबासी बनाम उ0प्र0 राज्य (2007) (59) ए0सी0सी0 739 एवं अंजुम बनाम राज्य 2008 (61) ए0सी0सी0 18** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सी0आर0पी0सी0 की धारा 156(3) द0प्र0सं0 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हत्या,

बलात्कार, अपहरण आदि गम्भीर मामलों में अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेश पारित कर सकता है। शेष मामलों में न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।

That also Hon'ble SC has held in case of **Lalaram v. State of U.P. and other, Criminal Revision No. 1611 of 2020 dated on 18-12-2020 (40.09)**. "However Where some investigation is required which is of a nature that is not possible for the private complainant and which can only be done by the police officer upon whom statute has conferred the powers essential for investigation, the option to direct the registration of the FIR and its investigation by the police officer should be exercised"

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित विधि व्यवस्था रंजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "लोक सेवकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचना से पूर्व शासकीय अनुमति प्राप्त करना धारा 197 के तहत बाध्यकारी आवश्यकता नहीं है। लोकसेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाये जाने के अनुमति न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने के पूर्व प्राप्त की जा सकती है।"

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी अपने विधिक सिद्धांत रामनरेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि "यदि पुलिस अधिकारी कानूने से बाहर जाकर कार्य करता है तो वह कार्य आधिकारिक कर्तव्य के अंदर नहीं माना जा सकता तथा ऐसे कार्य पर धारा 197 सी0आर0पी0सी0 लागू नहीं होती है।"

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) वी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत करने से पूर्व प्रश्नगत घटना के संबंध में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थानाध्यक्ष को भी प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है, जिसका सम्यक अवलोकन न्यायालय द्वारा किया गया।

प्रस्तुत मामलों में मामलों की वास्तविक सच्चाई को न्यायालय के समक्ष लाया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत मामलों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विधि-व्यवस्थाओं के आलोक में एवं मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामलों में विवेचना कराया जाना आवश्यक व न्यायसंगत प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) वी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) वी0एन0एस0एस0 से स्वीकार किया

जाता है। थानाध्यक्ष सम्भल को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के बाबत मामला पंजीकृत करे तथा नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें तथा पंजीकरण की सूचना न्यायालय के समक्ष 07 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

दिनांक: 09.01.2026

(विभांशु सुधीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी